

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1388]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939

No. 1388]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1571(अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री सुमन सक्सेना को भारत सरकार के अपर सचिव को स्वीकार्य वेतन या 3,75,000 रुपए (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए) प्रतिमाह के समेकित वेतन पर तारीख 22 फरवरी, 2017 से अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पैंसठ वर्ष की आयु होने तक या आगे के आदेशों, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 30/2/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग (i)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1571(E).— In exercise of the powers conferred by section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Ms. Suman Saxena, as whole-time member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India on a salary admissible to an Additional Secretary to Government of India or on a consolidated salary of Rs 3,75,000 (rupees three lakh seventy five thousand) per month with effect from the 22nd February, 2017 i.e., the date of assumption of the charge and up to the attainment of sixty-five years of age or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 30/2/2016-Insolvency Section(i)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1572 (अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. नवरंग सैनी को भारत सरकार के अपर सचिव को स्वीकार्य वेतन या 3,75,000 रुपए (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए) प्रतिमाह के समेकित वेतन पर तारीख 31 मार्च, 2017 से अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक या आगे के आदेशों, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 30/2/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग (ii)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1572(E).—In exercise of the powers conferred by section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Dr. Navrang Saini, as whole-time member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India on a salary admissible to an Additional Secretary to Government of India or on a consolidated salary of Rs 3,75,000 (rupees three lakh seventy five thousand) per month with effect from the 31st March, 2017 i.e., the date of assumption of the charge for a period of five years or up to the attainment of sixty-five years of age or until further orders, whichever is the earlier.

[F.No. 30/2/2016-Insolvency Section(ii)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1573 (अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को भारत सरकार के अपर सचिव को स्वीकार्य वेतन या 3,75,000 रुपए (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए) प्रतिमाह के समेकित वेतन पर तारीख 13 अप्रैल, 2017 से अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक या आगे के आदेशों, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 30/2/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग (iii)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S. O. 1573 (E).—In exercise of the powers conferred by section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Dr.(Ms) Mukulita Vijayawargiya, as wholetime member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India on a salary admissible to an Additional Secretary to Government of India or on a consolidated salary of Rs 3,75,000 (rupees three lakh seventy five thousand) per month with effect from the 13th April, 2017 i.e., the date of assumption of the charge for a period of five years or up to the attainment of sixty-five years of age or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 30/2/2016-Insolvency Section(iii)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.